न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/40

1. रमेश चन्द पुत्र सांवला जाति महाजन ।
2. कैलाश चन्द पुत्र सांवला जाति महाजन निवासीगण ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. दौलत कंवर विधवा पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य सरकार भू–स्वामी जरिये श्रीमान् तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 03.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 2041 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2042 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3544 रकबा 13 बिस्वा, खसरा

नम्बर 3547 रकबा 19 बिस्वा कुल 04 किता की रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि है । ग्राम दुगारी तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 3548 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । खसरा नम्बर 3547 में आने–जाने का रास्ता दुगारी से बांसी जाने वाले मुख्य डामर के सडक के पश्चिमी ओर स्थित चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि के उत्तरी ओर के छोर पर धोरे के सहारे – सहारे होता हुआ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में खसरा नम्बर 3547 प्रार्थी की भूमि तक 20 फिट चौडा पहुंचता है । उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अनादि काल से पुश्तैनी रूप से प्रार्थी करता चला आ रहा है । अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 प्रार्थी के वर्षो दराज पुराने रास्ते को बन्द करने पर उतारू हैं । प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 3547 में जाने का रास्ता दुगारी से बांसी जाने वाले मुख्य डामर सडक के पश्चिमी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि के उत्तरी ओर धोरे के सहारे–सहारे होता हुआ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 20 फिट चौडा पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा नम्बर 3547 तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में आवश्यक है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3547 पर पहुंचने का रास्ता, दुगारी से बांसी जाने वाली मुख्य डामर सडक के पश्चिमी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3548 के उत्तरी छोर पर धोरे के सहारे –सहारे होता हुआ 20 फिटर चौडा उत्तर दक्षिण तथा लम्बाई में खसरा नम्बर 3548 के सम्पूर्ण भाग में होता हुआ प्रार्थी के खाते की भूमि तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है को राजस्व रिकॉर्ड में कीमतन दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे । अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी को मिलने वाले आम रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 3 व 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.12.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 3548 में से रकबा 112.2 फिट 13.2 फिट = 1481.04 वर्ग फिट भूमि पर रास्ता कायम कर उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 3 व 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में पत्रावली इन्तजार रिपोर्ट तहसील में विचाराधीन थी जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.01.2021 नियत थी उसके बाद नोटिस बोर्ड से पेशी नियत की जाती रही । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत न्यायालय कैम्प दुगारी में ले लाकर एकपक्षीय रूप से निर्णित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट में निर्णय करने हेतु ले जाने की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 13.12.2021 को नकल लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 17.01.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2001 (2) पेज 1236, आरआरटी 2020 (2) पेज 791 उद्वरत की।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2022 की प्रमाणित प्रति पेश की है । उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित है और प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी नैनवा में रेस्पोडेन्ट कम 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था। अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 02.12.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया, सरकार की अनुपस्थिति दर्ज की गई और पत्रावली पालना रिपोर्ट तहसीलदार में तारीख पेशी दी जाती रही और दिनांक 10.12.2021 को पत्रावली में सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया का उल्लंघन करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रार्थी के खाते की भूमि पर पहुंचने के लिए पूर्व वैकल्पिक रास्ता मौजूद था जो बिना किसी बाधा के चालू है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 में किये जाने वाले कार्य की सूची, राजस्थान सरकार व राजस्व मण्डल द्वारा जारी नोटिफिकेशन की

प्रतियॉ जिसमें बताया गया है कि राजस्व न्यायालय शिविर व लोक अदालतों में किन प्रकरणों का निस्तारण कर सकेंगे । एआईआर 2021 (एससी) पेज 4894, लोक अदालत के पास मामले को मेरिट पर तय करने का अधिकार नहीं है । आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 186, आरआरटी 2018–19 पेज 576, आरआरटी 2018–19 पेज 342, आरआरटी 2016 (2) पेज 798, 2016–17 आरआरटी पेज 677, आरआरटी 20.16.2017 पेज 597 एंव आरआरटी 2018–19 पेज 186 उद्वरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं, अपीलान्ट कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं तथा दिनांक 13.12.2021 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस दिनांक 17.01.2022 को नकल प्राप्त हुई । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता कायम करने का कथन किया था । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण कम 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । परीक्षण न्यायालय ने प्ररकण को कैम्प कोर्ट दुगारी में रखते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 3548 में से रकबा 112.2 फिट X 13.2 फिट = 1481.04 वर्गफिट भूमि पर नया रास्ता कायम करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं ।

14. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 3 व 4 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की और परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का कथन किया है । हमने प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के खाते की भूमि तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 3548 में से 1481.04 वर्गफिट भूमि पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र सिंह, वल्द महेन्द्र सिंह अप्रार्थी कम 01 व अप्रार्थी कम 02 श्रीमती दौलत कंवर बाई बेवा महेन्द्र सिंह के खातेदारी में दर्ज है जो कि प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी कम 1 व 2 है। वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार अप्रार्थी कम 01 व 02 के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही हुई है । खसरा नम्बर 3548 के मूल खातेदार द्वारा न्यायालय हाजा में भी किसी प्रकार की कोई प्रार्थना अथवा आपत्ति नहीं की गई है । न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण कम 3 व 4 के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जबकि वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है उन्होंने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होना बताया है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । उन्होंने अपील में स्वयं को वादग्रस्त आराजी का केता होना बताया है परन्तु क्रय का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में निर्णय को चैलेंज करने का कोई लोकसस्टण्डाई अपीलान्ट का नहीं होता है । अपीलान्ट के विद्वान्

अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि परीक्षण न्यायालय में कैम्प कोर्ट दुगारी में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक के उक्त तर्क को यदि सही भी मान लिया जावे तब भी अपीलान्ट को उससे कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उनका वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3548 जिसमें से रास्ता कायम किया गया है उसके रिकॉर्डेड खातेदार अन्य व्यक्ति हैं । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि यदि उनका खसरा नम्बर 3548 से कोई सम्बन्ध नहीं है तो उन्हें परीक्षण न्यायालय में पक्षकार क्यों बनाया ? अप्रार्थी का कथन था कि एक वर्ष के लिए उक्त भूमि मुनाफा काश्त पर दी थी । परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा उन्हें अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाने से खसरा नम्बर 3548 में उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और न ही वे रिकॉर्डेड खातेदार हैं ।

15. अपीलान्ट ने अपील में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खाते की आराजी तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता होने का कथन तो किया है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें वैकल्पिक रास्ता पूर्व से होना साबित हो । अपीलान्ट ने अपील के साथ एक नक्शा पेश किया है जिसमें लाल स्याही से लाईन अंकित है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है । तहसीलदार द्वारा प्रेषित उपखण्ड अधिकारी नैनवा को रिपोर्ट में क्रम संख्या 3 पर स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 3547 में पहुंचने के लिए अन्य उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

16. अपीलान्ट ने अपील में यह भी कथन किया है कि परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 की पालना नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में हमने मौका रिपार्ट दिनांक 20.09.2021 का अवलोकन किया । उक्त मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं । गवाह गिरिराज, राजेन्द्र एवं रामलाल के हस्ताक्षर हैं । मौका रिपोर्ट पक्षकार बद्रीनारायण के पुत्र भानू कुमार एवं अपीलान्ट रमेश चन्द, कैलाश चन्द की उपस्थिति में तैयार की गई है जिसमें केवल भानु कुमार पुत्र बद्रीनारायण के द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा शेष पक्षकार रमेश चन्द, कैलाशचन्द के द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया जिसे उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई है जो कि नियम 69 के अनुसार है ।

17. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस तामील करवाये हैं जिन पर हस्ताक्षर रिंकू द्वारा किये गये तथा नीचे तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर हैं । उक्त नोटिस लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट के लिए दिये गये हैं उक्त सम्मन में नीचे स्पष्ट अंकित किया गया है कि यदि अपीलान्ट उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी । इस प्रकार अपीलान्ट को उक्त नोटिस/सम्मन लोक अदालत/कैम्प कोर्ट के लिए जारी किये गये हैं ।

18. अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो में अनुतोष में कथन किया है कि – **'अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2021 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के खाते की आराजी पर से किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नहीं किया**

जावे तथा नक्शे में तरमीम नहीं की जावे – परन्तु पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते की भूमि नहीं है जब अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार ही नहीं है तो उसे उनके द्वारा चाहा गया अनुतोष किस प्रकार प्राप्त होगा ? यदि प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता हैं तो भी इससे अपीलान्टगण को न तो रास्ते के बदले जमा की जाने वाली राशि प्राप्त होगी और न ही खसरा नम्बर 3548 में कोई अन्य स्वत्व अधिकार प्राप्त होंगे । बल्कि रेस्पोडेन्ट कम 01 को आवश्यक रूप से अपने रास्ते सम्बन्धी अधिकार से वंचित होना पडेगा । परीक्षण न्यायालय ने जो रास्ता कायम किया है उसकी राशि भी रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी गई है जो आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है कि मौके पर उक्त आदेश की पालना हो चुकी है । अपीलान्ट अपने अपील मीमो के कहे गये कथनों को साक्ष्य एवं दस्तावेजात से साबित करने में असफल रहे हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 बहाल जाता है ।

20. निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा